

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था./अ.सू./2019/११७

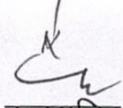
दिनांक ०८/०३/२०१९

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय प्रमंडल की ३४वीं बैठक दिनांक १५.०२.२०१९ के अतिरिक्त पद क्रमांक ३ में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र २०१९-२० से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये केवल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों एवं उन सभी निजी कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से Accredited हों, के छात्र अर्ह (Eligible) हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक ३०-३१ जनवरी, २०१९ को सम्पन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा ICAR के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन के कार्यवाही विवरण एजेंडा बिन्दु क्रमांक ४.८ में परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों में उपरोक्त शर्त अनुसार निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के प्रवेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

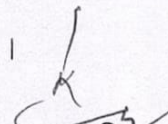

कुलसचिव

पृष्ठा.क्र./कु.स./स्था./अ.सू./२०१९/११०१

दिनांक ०८/०३/२०१९

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

१. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
२. निदेशक शिक्षण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
३. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
४. निदेशक शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
५. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/खंडवा/सीहोर/मंदसौर।
६. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
७. उप कुलसचिव (स्था./शिक्षण), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
८. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की और विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने बावत।
९. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
१०. सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव